समाहरणालय मुंगेर।
(जिला योजना कार्यालय)
आदेश

एकीकृत कार्य योजना के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय रमनकाबाद के चहारदिवारी का उँचाईकरण का निर्णय चयन समिति की दिनांक– 08.07.2013 की बैठक में लिया गया है तथा इस हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल मुंगेर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर सम्यक विचारोपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदत्त की जाती है तथा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर को कार्यकारी एजेंसी नामित किया जाता है।

क0	योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4
1	जवाहर नवोदय विद्यालय रमनकाबाद के चहारदिवारी का उँचाईकरण	3266000.00	3266000.00

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0–3266000.00 (बत्तीस लाख छियासठ हजार) रू0

इस योजना हेतु अभी राशि विमुक्त नही किया जा रहा है। कार्यादेश निर्गत होने की सूचना प्राप्त होने पर राशि विमुक्ति का आदेश दिया जाएगा।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल मुंगेर को अग्रलिखित शर्त्तो के अधीन इस योजना का कार्य कराने का आदेश दिया जाता है–

1. कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि एकीकृत कार्य योजना के मार्गदर्शिका के अनुरुप ही कार्य कराया जाय।
2. कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्क्लन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चि करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
3. राशि का संधारण एवं व्यय बिहार वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
4. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नही होगा।
5. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्क्लित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
6. योजना का कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख मे रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
7. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
8. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
9. कार्यकारी एजेंसी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना स्थल सरकारी जमीन हो एवं वर्णित कार्य किसी अन्य मद से नही कराया जा रहा है।

10. यदि संबंधित भूमि गैरमजरूआ आम ज्ञात होती है तो कार्यान्वयन एसेंसी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह सूनिश्चित कर लेगे कि राज्य सरकार के स्तर से भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

11. योजना स्थल किसी अन्य विभाग की भूमि हो तो कार्यकारी एजेंसी उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही योजना का कार्य प्रारंभ करायेगे।

12. योजना स्थल अंशतः या पूर्णतः वन क्षेत्र में पड़ता हो तो कार्यकारी एजेंसी वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।

13. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित हो लेंगे योजना स्थल विवाद रहित हो।

14. योजना पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित विभाग को हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह० -
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक ..../ जि०यो०, दिनांक..................

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० -
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 448 / जि०यो०, दिनांक 10/9/13

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर/प्रचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, रमनकाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

3/9/13
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।